PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Dainik Bhaskar, Faridabad
Tuesday, 11th September 2012, Page: 5
Width: 9.23 cms Height: 15.66 cms, Ref: pmin.2012-09-11.61.31

अब कैमिस्ट को देनी होगी दवा की गारंटी

● सरकार जल्द लागू करेगी नियम

प्रदीप सुरीन। नई दिल्ली

अब दवा दुकानदार को दवा की गुणवत्ता की गारंटी भी देनी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की इकाई केंद्रीय दवा मानक एवं नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में ऐसा नियम बनाने जा रहा है। जिसके तहत दवा दुकानदार को दवा की गुणवत्ता से जुड़े सवालों की जानकारी देनी होगी। दवा कंपनियों को अब दवा के हर पैक में बार कोडिंग लागू करनी होगी। इसी के आधार पर दुकानदार हर दवा के बारे में जानकारी मुहैया कराएगा।

नकली दवाओं का कारोबार

» एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में लगभग 7.5 करोड़ डालर की नकली दवाएं मौजूद।

» एक ताजा सर्वे के अनुसार देश में लगभग 4.7 प्रतिशत दवाएं खराब क्वालिटी की हैं

» सर्वे में महाराष्ट्र में 23 प्रतिशत, गुजरात में 9.2 फीसदी और राजस्थान में 5.8 प्रतिशत दवाएं घटिया क्वालिटी की पाई गई है।

» भारत में अभी तक नकली दवाओं की सटीक जानकारी मौजूद नहीं

क्या होगा तरीका

दवा दुकानदार पूछने पर दवा पैक में छपे बार कोड पर कंपनी को एसएमएस करेगा या खरीदार से एसएमएस करने को कहेगा। मात्र कुछ सेकेंडों में दवा से जुड़ी हर जानकारी एसएमएस से आ जाएगी। दवा निर्माता कंपनियों ने हर दवा की स्ट्रिप पर बार कोडिंग करने का प्रस्ताव मान लिया है। इसे एक साल में ही पूरे देश में लागू करने की भी योजना है।

दवा कंपनियों की प्राथमिकता में हर नागरिक को असली दवा का विश्वास दिलाना हो गया है। कुछ कंपनियों ने अभी से दवा की स्ट्रिप (पत्ते) पर बार कोडिंग शुरू कर दिया है। आने वाले कुछ महीनों में सभी निर्माताओं को इसे लागू करना होगा।
-किशोर कर, वाइस प्रेसिडेंट, फार्मा सिक्योर कंपनी